उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3

संख्या– / /
दिनांक–

## अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम सं0–16/1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पी0एम0जी0एस0वाई डीडीहाट को प्रत्यावर्तित 5.857 हे0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग को राज्य सरकार के स्वामित्व की कुल 11.714 हे0 सिविल भूमि हस्तांतरित की गयी है, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं।

| जिला | ग्राम | पट्टी | तहसील | खाता सं0 | खेत सं0 | कुल क्षेत्रफल (हे0 में) | भूमि का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पिथौरागढ़ | पमस्यारी | देवविसौना | डीडीहाट | 58 | – | 8.10 | श्रेणी–9(3)ड़ (बंजर काबिल आबाद) |
| | | | | 111 | – | 3.614 | श्रेणी–9(3)ड़ (बंजर काबिल आबाद) |

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतो के दावों से मुक्त है।

सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification........../ .......... Dehradun, dated ............. for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section-03
File no.
Dehradun: Date:-

In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) and (2) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act -16 of 1927), for the Chapter 4 of the said Act, the Government is pleased to declare the government owned category land total of 11.714 hectares, as forest land as well as protected forest, which was transferred by district collector of Pithoragarh to forest department for compensatory afforestation against the 5.857 hectares forest land transferred for the construction of Didihat to Pamsyari motor road in didihat, district Pithoragarh, whose area and boundary details are given in the table below.

| District | Village | Patti | Tehsil | Khata no. | Khet no. | Total area acquired (in hectares) | Category of Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pithoragarh | Pamsyari | Devvisona | Didihat | 58 | - | 8.10 | Category 9(3)nga |
| | | | | 111 | - | 3.614 | Category 9(3)nga |

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of forest department in the land records.

Secretary

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 7558 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 19 जून, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर कालोनी, देहरादून।

**विषयः–** **जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.857 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कर्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभावित 5.857 हे0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 1099/सात–27/2016–17 दिनांक 11.03.2017 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पमस्यारी, पट्टी देवविसौना, तहसील डीडीहाट के गैर ज0वि0 खाता सं0–58 श्रेणी 9(3)ङ (बंजर काबिल आबाद) की कुल 8.1 हे0 तथा ग्राम खेतार कन्याल, पट्टी देवविसौना, तहसील डीडीहाट के गै ज0वि0 खतौनी खाता सं0 58 श्रेणी 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद के की 3.614 हे0 अर्थात कुल 11.714 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित भूमि में कोई भी ऐतिहासिक स्थल, मंदिर/मस्जिद/कब्रिस्तान/चारागाह/पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित की गई उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केंद्रीय अधिनियम सं0 16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा(1) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना के ड्राफ्ट का प्रारुप हिन्दी/अंग्रेजी में एवं डिजिटल एवं जियोरिफ्रेंस मैप तथा प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी ई–मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नामान्तरित/हस्तांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केंद्रीय अधिनियम सं0 16 वर्ष 1927) की धारा–29 की उपधारा–01 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।

संलग्नः– यथोक्त।

**भवदीय,**

**(आशुतोष सिंह)**
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

नकल खतौनी ग्राम- खेतारकन्याल पट्टी- देवलिसौना, तहसील -डीडीहाट
जिला पिथौरागढ़

बाबत- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु।

श्रेणी - 9 (3) :

| खं० खा० सं० | नाम खातेदार | फसली वर्ष | खेत नं० | रकबा | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111- | वं० का० भाबड़ | 6<br>औ० सं०<br>बं० | 6<br>69<br>150<br>क्रमशः खतौनीनुसार<br>11018<br>11021<br>11023<br>11026<br>क्रमशः<br>11404<br>11405<br>11420<br>11429<br>क्रमशः<br>~~4859~~ 11752<br>~~9761~~ 11754 | 0.063<br>0.010<br>0.011<br>/<br>1.605<br>0.301<br>0.009<br>0.662<br>/<br>1.027<br>0.181<br>0.034<br>0.439<br>/<br>0.004<br>0.226 | श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश सं- 1099/सात-/2016-2017 दि० मार्च 11-2017 एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय डी० के आदेश दि० 21-4-017 के अनुपालन/अनुसार खेत नं० 11018 मं० 1.600 है० 11021 मं 0.300 है०, 11026 मं० 0.660 है० 11404 मं० 1.027 है० एवं 11429 मं० 0.027 कुल 3.61 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण की गयी।<br>(हस्ताक्षर)<br>मनोज प्रकाश<br>राजस्व उपनिरीक्षक<br>क्षेत्र देवलिसौना<br>तह० डीडीहाट<br>दि० 13/09/017 |
| | | योग | 1016 | 91.011 है० | |

महोदय,
उद्धरण खतौनी असल खतौनी से तैयार कर प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/04/017
(बी०के० शाह)
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र देवलिसौना
तहसील डीडीहाट
..2017

कमला रेठानी

कच्ची खतौनी और ज.वि. ग्राम - पमस्यारी, पट्टी - ढवलसौना
तहसील - डीडीहाट, जिला - पिथौरागढ़
विषय - वृक्षारोपण हेतु भूमि का प्रस्ताव.

| खा. खे. सं. | नाम खातेदार | फसली वंधी | खसरा नं | रकबा (हे. में) | विवरण. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | बंजर काबिल आबाद | बा. स. व. | 1805 | 0.085 | श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आ. सं. 1099/सात-27/2016-17 दि॰ मार्च 11 20 एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय डीडीहाट के आदेश दि॰ 21.4.017 के अनुपालन में खेत नं॰ 1805, 1975, 2077, 2171, 2207, 2209, 2841, 2892, 2905, 2940, 2965, 2966, 3030, 3395, 3396, 3410, 3415, 3485, 3518, 4086, 4092, 4244, 4378, 4380, 4973, 5378, 5481, 5483, 5510, 5818, 5884, 6001, 6003, (6007 म. 2555) 6290, 6322, 6556, 7121, 7123, 6118/72, 2248/7289 कुल 57 खेतों में की 8.1006 भूमि अतिपुर्वक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की गयी |
| | | | 1975 | 0.128 | |
| | | | 2077 | 0.121 | |
| | | | 2171 | 0.095 | |
| | | | 2207 | 0.069 | |
| | | | 2209 | 0.226 | |
| | | | 2841 | 0.064 | |
| | | | 2892 | 0.101 | |
| | | | 2905 | 0.076 | |
| | | | 2940 | 0.159 | |
| | | | 2965 | 0.111 | |
| | | | 2966 | 0.154 | |
| | | | 3030 | 0.275 | |
| | | | 3395 | 0.103 | |
| | | | 3396 | 0.061 | |
| | | | 3410 | 0.242 | |
| | | | 3415 | 0.070 | |
| | | | 3485 | 0.063 | |
| | | | 3518 | 0.204 | |
| | | | 3543 | 0.065 | |
| | | | 3547 | 0.114 | |
| | | | 3560 | 0.320 | |
| | | | 3564 | 0.277 | |
| | | | 3656 | 0.098 | |
| | | | 3664 | 0.081 | |
| | | | 3665 | 0.093 | |
| | | | 3678 | 0.228 | |
| | | | 3732 | 0.160 | |
| | | | 3850 | 0.119 | |
| | | | 3925 | 0.063 | |
| | | | 3926 | 0.089 | |
| | | | [illegible] | [illegible] | |

मनोज प्रकाश
सहायक उपनिरीक्षक
ग्राम ढवलसौना
तह. डीडीहाट
दि. 19/09/2017

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| -६- | -६- | 4086 | 0.208 | |
| | | 4092 | 0.078 | |
| | | 4244 | 0.282 | |
| | | 4386 | 0.110 | |
| | | 4380 | 0.069 | |
| | | 4973 | 0.093 | |
| | | 5378 | 0.153 | |
| | | 5481 | 0.123 | |
| | | 5483 | 0.081 | |
| | | 5520 | 0.108 | |
| | | 5818 | 0.215 | |
| | | 5844 | 0.098 | |
| | | 6001 | 0.133 | |
| | | 6003 | 0.125 | |
| | | 6007 | 0.275 | |
| | | 6290 | 0065 | |
| | | 6322 | 0.121 | |
| | | 6556 | 0.158 | |
| | | 7120 | 0.257 | |
| | | 7123 | 0.811 | |
| | | 7126 | 0.214 | |
| | | 6114 7284 | 0.081 | |
| | | 2214 7289 | 0.118 | |
| | योग | 538 540 | 16.966 | |

महोदय,
उद्धरण खतौनी असल से तैयार की.

Kamla Aithani
प्रशिक्षु

(बी०के० शाह) 26/2/017
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र देवीधुरा?
तहसील डीडीहाट? [illegible]
26/02/017

# प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 5.857 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ग्राम पमस्यारी पट्टी देवविसौना तहसील डीडीहाट के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0—58 श्रेणी—9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के कुल 57 खेतों की 8.1 हे0 तथा ग्राम खेतार कन्याल पट्टी देवविसौना तहसील डीडीहाट के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0 111 श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के कुल 5 खेतों की 3.614 हे0 कुल 62 खेतों की 11.714 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1099 / सात—27 / 2016—17 दिनांक 11.03.2017 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506 / 14—2—97—800(II) / 1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी।
पिथौरागढ़ प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

## आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी0/यू.सी.पी./06/30/2015 एफ.सी./2560 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 5.857 हे0 वन भूमि के बदले 11.714 हे0 सिविल भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 5.857 हे0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी डीडीहाट की सहमति/संस्तुति के आधार पर ग्राम पमस्यारी पट्टी दे‌वविसौना तहसील डीडीहाट के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–58 श्रेणी–9(3) ड बंजर काबिल आवाद के कुल 57 खेतों की 8.100 हे0 तथा ग्राम खेतार कन्याल पट्टी देवविसौना तहसील डीडीहाट के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–111 श्रेणी–9(3) ड बंजर काबिल आवाद के कुल 05 खेतों की 3.614 हे0 कुल 62 खेतों की 11.714 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार डीडीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अप्रैल 07, 2017

(सी. रविशंकर)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या–1099/सात–27/2016–17

दिनांक मार्च 11, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड डीडीहाट।
5. तहसीलदार डीडीहाट को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सी. रविशंकर)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।